राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प बालोतरा
तहसील पचपदरा, पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथ राम आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

मुकदमा नम्बर – 04 / 2018

प्रार्थीनी :–

1. मंजूदेवी पत्नि नवरतन अन्याव कौम ओसवाल निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. मदनलाल पुत्र चम्पालाल जाति ओसवाल
2. निर्मल कुमार पुत्र चम्पालाल जाति ओसवाल निवासी बालोतरा तह0 बालोतरा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आर एल आर एक्ट 111,128

आदेश **दिनांक : 15.06.2018**

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कैम्प नगर परिषद बालोतरा में पेश हुई प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि प्रार्थीगण का खातेदारी का खेत खातेदारी भूमि खसरा न0 686 रकबा 18 बीघा 10 विस्वा मौजा बालोतरा तहसील पचपदरा में स्थित है। विप्रार्थीगण संख्या 01 ता 2 उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है, प्रार्थीगण के खेत के पड़ोसी होने के कारण अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है।

प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहता है। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी स्वयं उपस्थित प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेख्मबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

विप्रार्थीगण संख्या 1व 2 वकील ने जबाब पेश करने के अवसर देने के बावजूद भी जबाब पेश नही किया गया । एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अतः प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि की पेमाईश एवं नेख्मबन्दी करने हेतु भूमापक कर्ता जसोल को नियुक्त किया जाता है। भूमापक कर्ता को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील / स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता का यह भी निर्देश दिये जाते है कि न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति मे परिवर्तन किये बिना

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर

Scanned by CamScanner

मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व लेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे । तहरीर जारी हो। भू– मापक आयुक्त का खर्चा प्रार्थी नियमानुसार अदा करे ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के बाद तामिल के दाखिल दफतर हो ।

आदेश न्याय आपके द्वार मे सुनाया गया ।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट शिविर-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प.........[illegible]

Scanned by CamScanner